उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Web : http://www.upavp.com E-mail : upavp@sanchar.net.in

ISO 9001 UKAS QUALITY MANAGEMENT

पत्र संख्या – 856/एल.ए.सी./एच.क्यू. दिनांक : 12.04.10

नोटिस

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ. प्र. अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अन्तर्गत नोटिस।

मुजफ्फरनगर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा मुजफ्फरनगर में ''कैराना मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–2 शामली मुजफ्फरनगर'' प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत हैं:–

उत्तर :– **शामली–झिंझाना रोड ग्राम शामली परगना व तहसील–शामली जिला मुजफ्फरनगर।**

पूरब :– खसरा संख्या 2559, 2548, 2547, 2545, 2652 भाग, 2664, 2681, 2682, 2678, 2691, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701, 2808, 2810, 2812, 2813, 2820 ग्राम शामली परगना व तहसील शामली जिला मुजफ्फरनगर।

दक्षिण :– **शामली कैराना मार्ग, परगना व तहसील शामली जिला मुजफ्फरनगर।**

पश्चिम :– खसरा संख्या 466, (यमुना नहर) ग्राम खेड़ी करमू, परगना व तहसील शामली जिला मुजफ्फरनगर खसरा संख्या 803 (यमुना नहर) ग्राम मुन्डेट, परगना व तहसील शामली जिला मुजफ्फरनगर।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी अथवा उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–6 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, शाकुन्तलम सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ.प्र. सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से संबंधित आपत्तियाँ कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ अथवा अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–6 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, शाकुन्तलम सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर में ली जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही सही नाम आपत्तिकर्ता का नाम, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण तथा ग्राम का नाम, खसरा नम्बर क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

आवास आयुक्त